न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 03/2021

अपीलांटः–

1. पुखराज पुत्र खुमाजी
2. सीतादेवी पत्नी चुन्नीलालजी, जातिगण सिरवी, निवासीगण कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
3. पूरणकंवर पत्नी महावीरसिंह जी
4. सोनलकंवर पत्नी महिपालसिंहजी, जातिगण राजपुत, निवासीगण कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सुमेरपुर, जिला पाली।
2. गणेशराम पुत्र श्री नवारामजी
3. रतनलाल पुत्र श्री नवारामजी
4. वालाराम पुत्र श्री नवारामजी
5. पोकरराम पुत्र श्री भीकाजी
6. वनाराम पुत्र श्री भीकाजी, जातिगण माली, निवासीगण कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)
7. हकमाराम पुत्र श्री खुमाजी, जाति सिरवी, निवासी कोसेलाव, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली (राज.)

रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थिति :–

1. श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलार्थी।
2. राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट संख्या 01
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक :– 27.10.2021

1. उपरोक्त अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् अधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 1800/ 2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2021 के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि अधीन न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा एक आवेदन धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् इस आशय का पेश किया कि ग्राम कोसेलाव के खसरा नम्बर 1172 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चाही दोयम अपीलाण्टस एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 से 7 के खातेदारी की स्थित है जिसमे कृर्षि कार्य नहीं हो रहा है और सक्षम अधिकारी से बिना सपरिवर्तन करवाए भूखण्ड काटकर बेचाण किये गये है तथा खरीददारो द्वारा चार दिवारी बनाकर अलग–अलग कब्जा कर लिया है तथा भूमि को गैर कृषि प्रयोग में लिया जा रहा है इसलिए बेदखल कर सिवायचक की जावे। उपरोक्त प्रकरण बिना नोटिस दिए सीधे ही दिनांक 03.11.2015 को वाद पत्र के रूप में दर्ज कर लिया है जबकि प्रकरण प्रार्थना पत्र के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए था एवं अप्रार्थीगण को इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में नोटिस जारी किया जाना आवश्यक था तथा अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित होकर बेदखली की दायित्व से इंकार किए जाने की अवस्था में है आवेदन को वाद में परिणित किया जाता। उपरोक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया नहीं अपनाकर सीधे ही वाद दर्ज कर दिया जो कार्यवाही अवैध है।

2. उपरोक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्बन्ध तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनो पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलाण्ट्स ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीन न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स के नाम कभी भी नोटिस जारी नहीं हुए न ही तामिल करवाई गई। अपीलाण्ट्स को साक्ष्य, सबूत, सुनवाई, जवाब का अवसर प्रदान नहीं किया तथा बिना सभी पक्षों की तामिल करवाए पत्रावली को जवाब दावा के लिए नियत कर दिनांक 17.12.2020 को जवाबदावा बंद कर पत्रावली वादी के साक्ष्य में नियत कर दी तथा दिनांक 28.10.2020 को साक्ष्य बनकर पत्रावली में अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए बहस सुनकर सीधे ही निर्णय व डिक्री पारित कर दिए जो अवैध है।

3 प्रत्येक सहखातेदार को अपनी कृषि भूमि को छोटे–छोटे टुकड़ो में विखण्डन करने ओर विक्रय करने का अधिकार है तथा इस सम्बन्ध

में धारा 42 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान काफी वर्षो पूर्व ही हटा दिए है इस कारण से किसी प्रकार का कोई विधि का उल्लघन नहीं हुआ है। भूमिधारी द्वारा धारा 177 के आवेदन में वाद के आवश्यक तत्वों तथा वाद कारण का अभाव है साथ ही वाद अन्दर म्याद होने बाबत् अभिवचन नहीं है। मौके की स्थिति पन्द्रह– बीस वर्षो से लगातार यथावत् चली आ रही है। इस कारण से अधीन न्यायालय में प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य था। साथ ही भूमिधारी वादी द्वारा किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश नहीं की थी इसलिए साक्ष्य के अभाव में प्रकरण मैरिट पर खारिज योग्य था। भूमिधारी वादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रदर्शित भी नहीं करवाया गया था ऐसी स्थिति में अधीन न्यायालय लम्बित वाद किसी भी रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता था फिर भी उपरोक्त निर्णय व डिक्री पारित किए है जो अवैध होने से निरस्त योग्य है इसलिए अपील स्वीकार किया जावे और अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज की जावें।

4. रेस्पोडेण्ट संख्या एक की ओर से सरकारी पैरोकार ने निवेदन किया कि अधीन न्यायालय द्वारा विधिवत् सुनवाई की जाकर निर्णय व डिक्री पारित किए जो सही है साथ ही अपीलाण्ट्स द्वारा कोई जवाबदावा ही पेश नहीं किया था इसलिए साक्ष्य पेश करने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस कारण अपील खारिज की जावें।

5. दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीन न्यायालय में रेस्पोडेण्ट् संख्या एक की ओर से धारा 177 का आवेदन पेश किए जाने पर अधीन न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2015 को सीधे ही वाद के रूप में प्रकरण दर्ज कर दिया जो विधि अनुसार गलत है क्योंकि सर्वप्रथम प्रकरण आवेदन के रूप में ही दर्ज किया जाना आवश्यक है और विपक्षी पक्षकार द्वारा उपस्थित होकर बेदखली दायित्व से इन्कार किए जाने और प्रकरण कंन्टेंस्ट किए जाने पर ही प्रकरण को वाद में दर्ज किया जाना चाहिए था। जो प्रक्रिया अधीन न्यायालय द्वारा नहीं अपनाई गई है इसलिए अधीन न्यायालय द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दुषित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मानी जाएगी। अधीन न्यायालय में रेस्पोडेण्ट भूमिधारी द्वारा पेश आवेदन का अवलोकन किया गया जिसमें न तो वाद कारण अंकित है न ही कब व किस प्रकार से गैर कृषि कार्य किया गया है इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार को कोई अभिवचन नहीं है साथ ही आवेदन का सत्यापन भी नहीं है। वाद में वाद कारण दर्ज नहीं होने पर प्रकरण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत् खारिज योग्य होता है वाद कारण के अभाव में प्रकरण विधिनुसार दर्ज योग्य भी नहीं था इसके अलावा अपीलाण्ट्स द्वारा यह बताया गया है कि कृषि भूमि को छोटे–छोटे टुकड़ो में विखण्डन करने बाबत् विधि में कोई रोक नहीं है साथ ही छोटे–छोटे टुकड़ो में विक्रय करने में कोई विधि में रोक नहीं है। हस्तगत प्रकरण में भूमि का रकबा मात्र 0.10 हैक्टर है जिसको संपरिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार भूमिधारी स्वयं को है। अगर खातेदारो द्वारा अकृषि कार्य कर भी लिया है तो आवासीय अथवा व्यवसायिक सपरिवर्तन करने का अधिकार भूमिधारी स्वयं को है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट धारा 178 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार भी ''धारा 177 के तहत पारित डिक्री या आदेश में यह निर्देश होगा कि **''यदि अभिधारी डिक्री या आदेश की पालना की तारीख से तीन माह के या ऐसे और समय के भीतर जो न्यायालय अभिलिखित किए जाने वाले प्रकरणों का अभिलिखित करे, नुकसान पूर्ति कर देवे अथवा ऐसे मुआवजे का, जो न्यायालय उचित समझे, सेदाय कर दे तो ऐसी डिक्री या आदेश का निष्पादन सिवाय उसके जिसका संबंध खर्चो से है, नही किया जाएगा।''** हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश के अन्तर्गत ऐसा कोई निर्देश नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीन न्यायालय में भूमिधारी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने ओर वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार योग्य है।

परिणामस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 1800/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.01.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निरस्त किए जाते है। एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अगर अपीलांट वादग्रस्त आराजी के संबंध में संपरिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो राजस्व भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 संशोधन 2016 के प्रावधानो का अनुसरण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली